


18.06.2024:—पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी वकील अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि पत्रावली मे अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही। प्रार्थी अधिवक्ता को पूर्व मे कई अवसर दिये जा चुके है। पूर्व पेशी 26.02.2020 को कोष्ट पर अंतिम अवसर दिया गया था आज तक अमल नहीं किया गया। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को बार—बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असांलतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़